झारखण्ड उच्च न्यायलय, रांची

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या- 7190/ 2023

नवीन कुमार सिन्हा, उम्र लगभग 65 वर्ष, स्वर्गीय शारदा प्रसाद के पुत्र, निवासी 49, बक्सीडीह, बक्सीडीह रोड, डाकघर और थाना- बक्सीडीह, जिला-, जिला गिरिडीह... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ (केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से) ... विपक्षी पार्टी

कोरम: माननीय श्रीमान. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री रोहित रंजन सिन्हा, अधिवक्ता

श्री विशाल कुमार, अधिवक्ता

विपक्षी पार्टी की ओर से : सुश्री चंदना कुमारी, "एसी टू एएसजीआई"

<u>आदेश संख्या 04/दिनांकित 12 अप्रैल, 2024</u>

1. गिरफ्तारी की आशंका से, आवेदक ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में अधिनियम, 1988) की धारा 13(2) सपठित 13(1)(ए) के तहत पंजीकृत आर.सी. प्रकरण संख्या 02(ए)/21(डी) (आर.सी. 02(ए)/2021-डी के तदनुरूप) के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 और 440 के तहत दायर वर्तमान आवेदन पत्र के माध्यम से अग्रिम जमानत की प्रार्थना की है।

तथ्य

2. वर्तमान आवेदन दायर करने के पीछे तथ्य और परिस्थितियां यह हैं कि विश्वसनीय स्रोत से एसपी, सीबीआई, एसीबी, धनबाद के कार्यालय में सूचना प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्ति अर्थात् (1) मोहम्मद अल्ताफ, तत्कालीन एपीएम काउंटर (एसबी), गिरिडीह प्रधान डाकघर, (2) शशि भूषण कुमार, तत्कालीन एपीएम काउंटर (एसबी), गिरिडीह प्रधान डाकघर, (3) अरविंद कुमार पांडे, तत्कालीन ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम खुर्जियो बीओ खाता पलोंजिला एसओ, गिरिडीह डिवीजन, गिरिडीह के साथ, (4) श्री कृष्ण कुमार दास, तत्कालीन ग्रामीण डाक सेवक, शिरमपुर कोलियरी बीओ खाता गिरिडीह टाउन एसओ के साथ, गिरिडीह प्रधान डाकघर के अंतर्गत, (5) श्री त्रिलोचन सिंह, (गैरसरकारी व्यक्ति), (6) श्री नवीन कुमार, (गैरसरकारी व्यक्ति) (7) श्री रतन कुमार पाठक, (गैरसरकारी

व्यक्ति) ने धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराध करने के इरादे से 2016-2019 के दौरान आपराधिक षड़यंत्र का संयोजन किया।

3. उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में, उन्होंने गिरिडीह प्रधान डाकघर के 03 संदिग्ध बचत बैंक खातों में डिमांड ड्राफ्ट / चेक (गिरिडीह प्रधान डाकघर के कोषागार द्वारा पहले से उपयोग और भुगतान किए गए) के विवरण का उपयोग करके 2016-2019 की अवधि के दौरान विभिन्न तारीखों पर बेईमानी और धोखाधड़ी से बड़ी मात्रा में क्रेडिट प्रविष्टियां कीं और बाद में उन राशियों को विभिन्न तिथियों पर धोखाधड़ी से नकद आदि में निकाल लिया गया और समान डिमांड ड्राफ्ट / चेक के खिलाफ दोहरा भुगतान किया गया, जिससे गिरिडीह के डाक विभाग को सदोष हानि हुई ।

4. यह आरोप लगाया गया है कि गिरिडीह एच. ओ. में खोले गए तीन बचत खातों में धोखाधड़ी से जमा/निकासी की गई, जबकि गिरिडीह मुख्यालय के खाते में कोई क्रेडिट/डेबिट प्रविष्टि नहीं की गई।

5. यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त जमा धनराशि उपरोक्त डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उक्त तीन खातों में जमा की गई थी, जिनका उपयोग गिरिडीह एच. ओ.के कोषागार द्वारा उन संबंधित उप-कार्यालयों को भुगतान करने के लिए पहले ही किया जा चुका था, जहां

डिमांड ड्राफ्ट वास्तव में प्राप्त हुए थे और वास्तविक लाभार्थियों को भुगतान के लिए थे। इस प्रकार, एक ही डिमांड ड्राफ्ट के विरुद्ध दोहरा भुगतान किया गया और गिरिडीह के डाक विभाग को सदोष हानि पहुंचाई गयी।

6. तत्पश्चात, उक्त तीनों बचत खातों से विभिन्न तिथियों पर 88,63,781/- रुपए की धोखाधड़ीपूर्ण निकासी की गई, जिससे डाक विभाग को 88,63,781/- रुपए की सदोष हानि हुई तथा स्वयं को भी सदोष लाभ हुआ।

7. उपरोक्त आरोप, प्रथम दृष्टया, उक्त आरोपी लोक सेवकों के द्वारा संज्ञेय अपराधों का खुलासा करते हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ 420 , पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ धारा 13 (1) (ए) के अंतर्गत दंडनीय हैं (पीसी अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित)।

8. इसलिए, (1) मोहम्मद अल्ताफ, (2) शशि भूषण कुमार (3) अरविंद कुमार पांडे, (4) श्री कृष्ण कुमार दास (5) श्री त्रिलोचन सिंह (6) श्री नवीन कुमार, (निजी व्यक्ति), (7) श्री रतन कुमार पाठक, (निजी व्यक्ति) और अज्ञात अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी सपठित धरा 420 , एवं पी सी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सपठित

धारा 13 (1) (ए) के अनतर्गत एक नियमित मामला दर्ज किया गया था (पीसी अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित)।

9. जांच के बाद, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दिनांक 19.12.2022 को चार्जशीट संख्या 05/2022 के माध्यम से चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 120-बी के साथ 420 और 477-ए तथा पीसी अधिनियम, 1988 (पीसी अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित) की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(ए) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया है। वर्तमान याचिकाकर्ता को उपरोक्त चार्जशीट में आरोपी संख्या-13 (ए-13) के रूप में दर्शाया गया है।

10. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि 16.03.2011 से 31.03.2018 तक वह पोस्टमास्टर, एच. ओ., गिरिडीह के पद पर तैनात था, तथा गिरिडीह एच.पी.ओ के सभी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार था। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि आपराधिक षड़यंत्र के तहत उसने ग्रामीण डाक सेवक अरविंद कुमार पांडे को डाक विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के फिनेकल सॉफ्टवेयर सिस्टम में काम करने की अनुमति दी, क्योंकि उक्त अरविन्द कुमार पांडे ग्रामीण डाक सेवक के रूप में फिनेकल सॉफ्टवेयर सिस्टम में काम करने का हकदार नहीं था।

11. यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बेईमानी और धोखाधड़ी से, विभिन्न तिथियों पर गिरिडीह प्रधान डाकघर के एच ओ सारांश में बचत बैंक शीर्ष में लेनदेन की राशि के सभी सही आंकड़ों को शामिल न करके, सरकारी खाते से गैरसरकारी आरोपी व्यक्तियों के खाते में धन के लेनदेन की सुविधा प्रदान की।

12. आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने की पृष्ठभूमि में, आवेदक ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए विविध आपराधिक आवेदन संख्या 233/2023 में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III-सह-विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, धनबाद की अदालत द्वारा पारित दिनांक 16.05.2023 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया गया है।

निवेदन

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पहले ही निष्कलंक सेवा रिकार्ड के साथ सेवानिवृत्त हो चुका है तथा वह परिस्थितियों का शिकार हो गया तथा उसे इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है।

14. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक ने कभी भी पोस्ट मास्टर, गिरिडीह एच. ओ. की मेल आईडी से संव्यवहार करने हेतु आरोपी अरबिंद कुमार पांडे (ग्रामीण डाक सेवक

(जीडीएस)) को नियुक्त नहीं किया, इसे सिस्टम प्रशासक द्वारा पोस्ट मास्टर गिरिडीह की मेल आईडी के माध्यम से भेजा गया था, जिसे किसी अन्य कर्मचारी के लिए पता लगाया जा सकता है।

15. यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) डाकघर अधीक्षक के आदेश से मुख्यालय से संबद्ध है, इसलिए याचिकाकर्ता को कथित अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

16. इसके अलावा, प्रासंगिक अवधि के दौरान, कोषागार के नकद शेष में कभी कोई अंतर नहीं पाया गया और सह-अभियुक्त मोहम्मद अल्ताफ, एपीएम एसबी काउंटर 5,000/- रुपये तक की धनराशि के काउंटर सत्यापन और कोषागार को सिस्टम हेतु दैनिक रिपोर्ट भेजने के प्रभारी थे।

17. फलस्वरूप ,जहां तक आवेदक का संबंध है, अभियोजन का सम्पूर्ण प्रकरण झूठे और तुच्छ आधारों पर आधारित है।

18. इसके अलावा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में सम्प्रकाशित, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मौलिक अधिकार होने के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न सर्वोपरि है और यहां तक कि आपराधिक प्रकृति के मामले में भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने से पहले विचार किया जाना चाहिए।

19. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने समतुल्यता का आधार भी लिया है क्योंकि सह-आरोपी व्यक्तियों में से एक, अजीत कुमार लाल उर्फ अजीत कुमार लाल की अग्रिम जमानत याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा एबीए संख्या 6643/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2023 द्वारा अनुमति दी गई है।

20. उपर्युक्त तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अग्रिम जमानत देने हेतु न्यायालय में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है और तदनुसार, वर्त्तमान आवेदन को अनुमति दी जा सकती है।

21. इसके विपरीत, विपक्षी सीबीआई की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री चंदना कुमारी ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि वर्तमान मामले

में आवेदक की संलिप्तता स्थापित है तथा अपराध की गंभीरता और समग्र समाज के हित को देखते हुए, इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

22. यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामला गिरिडीह टाउन एस.ओ. के कथित फर्जी बचत खातों से पहले से उपयोग किए गए डिमांड ड्राफ्ट/चेक के विवरण का उपयोग करके सरकारी धन की बेईमानीपूर्ण और अवैध निकासी से संबंधित है और आवेदक पोस्टमास्टर होने के नाते सार्वजनिक धन की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, लेकिन अपना कर्तव्य निभाने की बजाय, उसने अन्य आरोपीगण, अर्थात् अरविंद कुमार पांडे के साथ मिलीभगत करके, विभिन्न तिथियों पर गिरिडीह प्रधान डाकघर के एचओ सारांश में बचत बैंक शीर्ष में लेनदेन की राशि के सभी सही आंकड़ों को शामिल न करके सरकारी खाते से गैरसरकारी आरोपी व्यक्तियों के खाते में धन का लेनदेन करने की सुविधा प्रदान की है।

23. उपर्युक्त तथ्य प्रथम दृष्टया आवेदक द्वारा संज्ञेय अपराध किए जाने का खुलासा करते हैं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया है) की धारा 13(2) सपठित 13(1)(ए) के अंतर्गत दंडनीय है।

24. इसलिए, यह आधार लिया गया है कि चूंकि समतुल्यता का आधार आवेदक की ओर से लिया जा रहा है, इसलिए आवश्यकता यह होगी कि वर्तमान आवेदक के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोप पर अन्य आरोपी व्यक्ति अर्थात अजीत कुमार लाल उर्फ अजीत कुमार लाल के संबंध में विचार किया जाए, जिसके साथ समतुल्यता का दावा किया गया है।

25. उपर्युक्त आधार पर, उन्होंने दलील दी कि वर्तमान आवेदन में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

विश्लेषण

26. इस न्यायालय ने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया है तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया है।

27. संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय अग्रिम जमानत देने और/या अस्वीकार करने के संबंध में स्थापित कानून पर विचार करना उपयुक्त एवं उचित समझता है।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में बार-बार यह स्थापित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां असाधारण प्रकृति की हैं और इन्हें केवल अपवादात्मक मामलों में ही संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए, इसलिए

अग्रिम जमानत केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, जहां न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह मत हो कि आवेदक को अपराध में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि अग्रिम जमानत देना कुछ हद तक अपराध की जांच के क्षेत्र में हस्तक्षेप है और इसलिए न्यायालय को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए।

29. कानून का यह भी स्थापित अभिधान है कि आवेदन को स्वीकार करना या अस्वीकार करना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए और न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए कोई कठोर नियम और कोई कठोर सिद्धांत नहीं है।

30. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत सम्बन्धी क़ानून का संक्षिप्त विवरण, गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565 में संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित मापदंडों पर उचित विचार-विमर्श के उपरांत, सिद्धराम सतलिनप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2011) 1 एससीसी 694 में प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नवत उद्धृत किए जा रहे हैं:

"111. अग्रिम जमानत देने या न देने के लिए कोई कठोर दिशा-निर्देश या सख्त फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता। हमारा स्पष्ट मानना है कि इस संबंध में कठोर और कठोर दिशा-निर्देश देने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अग्रिम जमानत देने या न देने के लिए भविष्य की सभी परिस्थितियों और स्थितियों की साकार कल्पना स्पष्टतः नहीं की जा सकती। विधायी मंशा के अनुरूप अग्रिम जमानत देना या न देना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। जैसा कि सिब्बिया मामले [(1980) 2 एससीसी 565: 1980 एससीसी (सीआरआइ) 465] में संविधान पीठ के फैसले में सटीक रूप से देखा गया है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को धारा 438 सीआरपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अपने विवेक का बुद्धिमानी और सावधानी से उपयोग करके करना चाहिए, जिसके लिए वे अपने लंबे प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। किसी भी स्थिति में, यह विधायी जनादेश है जिसका हम सम्मान और आदर करने के लिए बाध्य हैं।

112. अग्रिम जमानत पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों और मापदंडों को ध्यान में रखा जा सकता है:

(i) गिरफ्तारी से पहले आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को ठीक से समझा जाना चाहिए;

(ii) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि क्या अभियुक्त पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास भुगत चुका है;

(iii) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना;

(iv) अभियुक्त द्वारा समान या अन्य अपराध दोहराने की सम्भावना;

(v) जहां आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हों;

(vi) अग्रिम जमानत प्रदान करने का प्रभाव, विशेष रूप से बड़े पैमाने के मामलों में, जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं;

(vii) न्यायालयों को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय को मामले में अभियुक्त की वास्तविक भूमिका को भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जिन मामलों में अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की सहायता से फंसाया जाता है, उन पर न्यायालय

को और भी अधिक सावधानी और सतर्कता से विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में अतिशयोक्ति सामान्य ज्ञान और चिंता का विषय है;

(viii) अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दो कारकों के बीच संतुलन बनाना होगा, अर्थात्, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए और अभियुक्त के उत्पीड़न, अपमान और अनुचित निरोध को रोकना चाहिए;

(ix) न्यायालय द्वारा गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका पर विचार करना;

(x) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत प्रदान करने के मामले में केवल वास्तविकता के तत्व पर विचार किया जाना चाहिए और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाओं के दौरान, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।

114. ये कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अग्रिम जमानत के आवेदनों पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कारक किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं हैं,

बल्कि ये केवल उदाहरणात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि उन सभी स्थितियों और परिस्थितियों की स्पष्ट साकार कल्पना मुश्किल है जिनमें कोई व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना कर सकता है। यदि संबंधित न्यायाधीश द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के बाद बुद्धिमतापूर्ण विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो जमानत देने या न देने के पक्ष में अधिकांश शिकायतों का समाधान किया जा सकेगा। विधायिका ने अपने विवेक से इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति केवल शीर्ष न्यायालयों के न्यायाधीशों को सौंपी है। विधायी इरादे के अनुरूप हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि विवेक का उचित रूप से प्रयोग किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प हमेशा उपलब्ध रहता है।"

31. **सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)** मामले में **(2020) 5 एससीसी 1** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दोहराया है कि अग्रिम जमानत के आवेदन को निस्तारित करते समय न्यायालयों को अपराध की प्रकृति और गंभीरता और आवेदक की अभिकथित भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे कारकों द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में स्पष्ट रूप से माना है कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय का न्यायिक विवेक विभिन्न प्रासंगिक कारकों द्वारा निर्देशित होगा तथा यह काफी हद तक प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस संबंध में संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम संतोष करणी एवं अन्य** के मामले में दिए गए निर्णय से लिया जा सकता है, जो **2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 427** में सम्प्रकाषित है । त्वरित संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को निम्नवत उद्धृत किया जा रहा है:

> ***"24. समय-परीक्षणित सिद्धांत यह है कि अग्रिम जमानत देने या न देने के लिए कोई सख्त फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का न्यायिक विवेक विभिन्न प्रासंगिक कारकों द्वारा निर्देशित होगा और काफी हद तक यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बनाना चाहिए, जिसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए।*** गिरफ्तारी से विनाशकारी और अपरिवर्तनीय सामाजिक कलंक, अपमान, अनादर, मानसिक पीड़ा और अन्य भयावह परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसके बावजूद, जब न्यायालय, जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई भौतिक जानकारी

पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है कि आरोपी के खिलाफ संदेह की एक मात्र सुई से अधिक कुछ है, तो यह जांच को खतरे में नहीं डाल सकता है, खासकर तब जब आरोप गंभीर प्रकृति के हों।"

33.अभिलेख से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप अधिनियम 1988 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भी लगाए गए हैं, इसलिए इस समय यह न्यायालय अधिनियम 1988 के उद्देश्य और प्रयोजन पर चर्चा करना उचित समझता है।

34.भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का उद्देश्य लोक सेवकों में व्याप्त रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रावधान करना है। यह एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य लोक सेवकों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है और जो उदार अर्थान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है ताकि इसका उद्देश्य पूरा हो सके।

35.मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम सिंह , (2000) 5 एससीसी 88 में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का उद्देश्य लोक सेवकों के बीच रिश्वत और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रावधान करना था। इसके अतिरिक्त यह भी अवधारित किया गया है कि यह लोक सेवकों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक सामाजिक कानून है और इसकी

व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए ताकि इसका उद्देश्य आगे बढ़े; इसकी व्याख्या उदारता पूर्वक अभियुक्तों के पक्ष में नहीं की जानी चाहिए।

36. उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में तथा अधिनियम 1988 के उद्देश्य के अनुसार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि किसी भी भ्रष्टाचार विरोधी कानून की व्याख्या तथा क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को मजबूती मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में जहां दो व्याख्याएँ सर्वथा उचित हों, न्यायालय को भ्रष्टाचार बनाये रखने वाले निर्माण की अपेक्षा भ्रष्टाचार समाप्त करने वाली व्याख्या को स्वीकार करना होगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉ. मनमोहन सिंह** के मामले में दिए गए निर्णय से संदर्भ लिया जा सकता है , जो (2012) 3 **एससीसी 64** में सम्प्रकाशित है।

37. उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के परस्पर विरोधी तर्क को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायलय अब इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार कर रही है कि आवेदक के पक्ष में अग्रिम जमानत का मामला बनता है अथवा नहीं।

38. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सीबीआई, एसीबी धनबाद ने 10.08.2021 को आईपीसी की धारा 420 सपठित धारा 120 बी, पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (ए) (पीसी अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित) के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।

39. अभिलेख से स्पष्ट है कि नवीन कुमार सिन्हा (आरोपी आवेदक) प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रधान डाकघर, गिरिडीह में पोस्टमास्टर के पद पर पदस्थापित था ।

40. जांच के दौरान यह पता चला है कि वर्तमान आवेदक दिनांक 16.03.2011 से 31.08.2018 की अवधि के दौरान गिरिडीह हेड पोस्ट के पोस्ट मास्टर के रूप में कार्य करते हुए उक्त कार्यालय का प्रभारी था और गिरिडीह हेड डाकघर (एचपीओ) के सभी कार्यों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी था।

41. वह बैंक और ट्रेजरी के लेनदेन के लिए जिम्मेदार था और उसे यह सुनिश्चित करना था कि ये सभी लेनदेन एचओ सारांश में शामिल किए जाएं , नोमिनल रोल का रखरखाव, पासवर्ड सुरक्षा रजिस्टर का रखरखाव और सभी कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर का उचित कार्य।

42. वह राजकोष में नकदी और टिकटों का संयुक्त अभिरक्षक भी था और उसका यह दायित्व था कि वह बचत बैंक जमा और निकासी के मद में के बीच प्रधान कार्यालय सारांश में की

गई प्रविष्टियों की तुलना बचत बैंक जर्नल में प्रधान कार्यालय से संबंधित लेन-देन के कुल दैनिक योग से करे।

43. जांच के दौरान यह सामने आया है कि वर्तमान आवेदक ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत सह-अभियुक्त अरविन्द कुमार पांडे, जीडीएस को डाक विभाग के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के फिनेकल सॉफ्टवेयर सिस्टम में काम करने की अनुमति दी, क्योंकि अन्य सह -अभियुक्त अरविंद कुमार पांडे ग्रामीण डाक सेवक होने के नाते फिनेकल सिस्टम में काम करने का हकदार नहीं था , केवल डाक सहायक और उससे ऊपर के पद पर पदस्थ व्यक्ति ही यह काम कर सकता है।

44. यह पता चला है कि वर्तमान आवेदक ने बेईमानी से 05.04.2016 को रांची के डाकघरों के सर्किल ऑफिस के समक्ष गलत जानकारी प्रस्तुत की, ताकि आरोपी अरविंद कुमार पांडे के लिए फिनेकल यूजर आईडी की व्यवस्था की जा सके। आवेदक ने जानबूझकर अपने वास्तविक पदनाम ग्रामीण डाक सेवक के बजाय अरविंद कुमार पांडे के पदनाम को डाक सहायक के रूप में उल्लिखित किया, जिससे आरोपी अरविंद कुमार पांडे के यूजर आईडी के माध्यम से गिरिडीह प्रधान डाकघर में सीबीएस के फिनेकल सिस्टम में प्रविष्ट करके अरविंद कुमार पांडे द्वारा धोखाधड़ी के अपराध को सुविधाजनक बनाया जा सके और जांच के अनुसार अरविंद कुमार पांडे कथित धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड है।

45.इस प्रकार, जांच के अभिलेखों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वर्तमान आवेदक नवीन कुमार सिन्हा ने बेईमानी और धोखाधड़ी से तथा अन्य आरोपियों के साथ षडयंत्र करके, विभिन्न तिथियों पर गिरिडीह प्रधान डाकघर के एचओ सारांश में बचत बैंक शीर्ष में लेनदेन की राशि के सभी सही आंकड़ों को शामिल न करके सरकारी खाते से गैरसरकारी आरोपी व्यक्तियों के खाते में धन के लेन-देन की सुविधा प्रदान की और उसने अन्य आरोपियों के साथ षडयंत्र करके विभिन्न तिथियों पर मुख्य डाकघर के सारांश में राशि के आंकड़े शामिल किए, जो एपीएम (एसबी) खातों के समेकित एलओटी के आंकड़ों/राशि से भिन्न थे, जबकि मानदंडों के अनुसार दोनों आंकड़े समान होने चाहिए।

46. इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ षड़यंत्र करके, वाउचर सबमिशन रजिस्टर और हैंड टू हैंड रजिस्टर के माध्यम से एसबीसीओ शाखा की रिपोर्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके सरकारी खाते से गैरसरकारी आरोपी व्यक्तियों के खाते में धन के कपटपूर्ण लेनदेन की सुविधा भी प्रदान की।

47.इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि नवीन कुमार सिन्हा (आरोपी- याचिकाकर्ता) ने दुर्भावनावश गिरिडीह प्रधान डाकघर में सम्बद्ध अवधि के दौरान पासवर्ड सुरक्षा रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी अरविंद कुमार पांडे द्वारा डाक अधिकारियों के पासवर्ड और यूजर आईडी का दुरुपयोग किया गया।

48. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्य प्रथम दृष्टया वर्तमान आवेदक द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (पीसी अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित) की धारा 13(2) सपठित 13(1)(ए) के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध किए जाने का खुलासा करते हैं।

<u>समतुल्यता का मुद्दा</u>

49. अब याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए समतुल्यता के आधार पर आते हैं, कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि समतुल्यता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए यदि तथ्य का मामला बिल्कुल समान है, तो आदेश पारित करने के मामले में केवल समानता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए, लेकिन यदि तथ्यों के बीच अंतर है, तो समानता का सिद्धांत लागू नहीं किया जाना चाहिए।

50. कानून का यह भी स्थापित अभिधान है कि न्यायालय अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता है और उसे जमानत देने से पहले परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा और केवल यह कह देना कि किसी अन्य आरोपी को जमानत दे दी गई है, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समतुल्यता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना , (2021) 6 एससीसी 230 में दिए गए निर्णय से संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें निम्नानुसार अवधारित किया गया है:

"25. हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून के तहत उचित नहीं हैं। वे कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता और दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता से अनभिज्ञ और अबोध हैं। नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 16 एससीसी कानून का यह भी स्थापित अभिधान है कि न्यायालय अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता है और उसे जमानत देने से पहले परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा और केवल यह कह देना कि किसी अन्य आरोपी को जमानत दे दी गई है, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समतुल्यता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। में, इस न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि समानता के सिद्धांत को लागू करते समय, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता है और उसे जमानत देने से पहले परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा। इस न्यायालय ने टिप्पणी की (एससीसी पृ. 515, पैरा 17):

"17. वर्तमान मामले पर आते हुए, यह पाया गया है कि जब यह रुख अपनाया गया कि दूसरा प्रतिवादी एक हिस्ट्रीशीटर है, तो उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वह प्रत्येक पहलू की जांच करता और मनमाने ढंग से यह दर्ज नहीं करता कि दूसरा प्रतिवादी समतुल्यता के आधार पर जमानत पाने का हकदार है। यह पूरी तरह से निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि यह समतुल्यता का मामला नहीं था और इसलिए, आक्षेपित आदेश [मिट्ठन यादव बनाम यूपी राज्य , 2014 एससीसी ऑनलाइन ऑल 16031] स्पष्ट रूप से विवेक के गैर-उपयोग को उजागर करता है। इसके अलावा, तथ्य के तौर पर यह रिकॉर्ड में लाया गया है कि दूसरे प्रतिवादी को कई अन्य जघन्य अपराधों के संबंध में आरोप-पत्र दिया गया है। उच्च न्यायालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए, आदेश को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना होगा, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा इसे मंजूरी देना न्याय का उपहास होगा, और तदनुसार हम इसे अपास्त करते हैं।

26. मामले का एक और पहलू जिस पर जोर देने की जरूरत है, वह है उच्च न्यायालय द्वारा समतुल्यता के सिद्धांत को लागू किये जाने का तरीका । अपने दो आदेशों द्वारा, दोनों दिनांक 21-12-2020 [प्रवीणभाई हीराभाई कोली बनाम गुजरात

राज्य , 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2986], [खेताभाई परबतभाई मकवाना बनाम गुजरात राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2988], उच्च न्यायालय ने प्रवीण कोली (ए-10) और खेता परबत कोली (ए-15) को जमानत दे दी। सिद्धराजसिंह भगुभा वाघेला (ए-13) के साथ समतुल्यता की मांग की गई थी, जिसे 22-10-2020 को जमानत दी गई थी [सिद्धराजसिंह भगुभा वाघेला बनाम गुजरात राज्य , 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2985] इस आधार पर (जैसा कि उच्च न्यायालय ने दर्ज किया) कि उसे "लाठी से लैस होने की समान भूमिका सौंपी गई थी"। फिर से, वनराज कोली (ए-16) को इस आधार पर जमानत दी गई कि वह लकड़ी की छड़ी से लैस था और इस आधार पर कि प्रवीण (ए-10), खेता (ए-15) और सिद्धराजसिंह (ए-13) जो लाठी से लैस थे, उन्हें जमानत दी गई थी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से समतुल्यता के केंद्रीय पहलू को गलत समझा है। जमानत देते समय समतुल्यता को अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल यह देखना कि जमानत पाने वाला दूसरा आरोपी भी इसी तरह के हथियार से लैस था, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समतुल्यता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। समतुल्यता के पहलू को तय करने में, आरोपी से जुड़ी भूमिका, घटना और पीड़ितों के संबंध में उनकी स्थिति

सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय उपरोक्त सरल मूल्यांकन को ही दृष्टिगत रखकर समतुल्यता के आधार पर आगे बढ़ा है, जो फिर से कानून के तहत मान्य नहीं हो सकता है।"

51. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय (उपरोक्त) के मामले में पैरा-18 में यह अवधारित किया है कि समतुल्यता कानून नहीं है और समतुल्यता के सिद्धांत को लागू करते समय न्यायालय को उस अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जिसका आवेदन विचाराधीन है।

52. उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 में आगे कहा गया है कि जमानत के मामले में समतुल्यता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि कोई नकारात्मक समानता नहीं हो सकती है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी सह-अभियुक्त व्यक्ति को तथ्यात्मक पहलू पर विचार किए बिना या अपर्याप्त आधारों पर जमानत दी गई है, तो केवल इसलिए कि सह-अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है, वह समतुल्यता का सिद्धांत इस आधार पर नहीं करेगा ज्योंकि अनुध्च्छेद 14 सकारात्मक समानता की परिककल्पना करता है न कि नकारात्मक समानता की। आसान संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ-19, इस प्रकार है:

"19. यह स्वयंसिद्ध है कि समानता का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष सकारात्मक समानता की गारंटी पर आधारित है। हालाँकि, यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, या न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने या समान गलत आदेश पारित करने के लिए उच्चतर या शीर्ष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या अनियमितता को कायम रखना नहीं है। यदि किसी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कानूनी आधार या औचित्य के बिना कोई लाभ या फायदा दिया गया है, तो अन्य व्यक्ति ऐसे गलत निर्णय के आधार पर लाभ का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं।"

53. अब यह न्यायालय उपरोक्त स्थापित कानूनी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में समतुल्यता के मुद्दे पर निर्णय करने के लिए वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विचार कर रहा है और कानून की उपरोक्त स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिकाकर्ता और अजीत कुमार लाल के मामलों में विभेद करने योग्य तथ्यों का उल्लेख करना उचित समझता है।

54. इस न्यायालय को अजीत कुमार लाल के खिलाफ आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसे वर्तमान याचिका में संलग्न किया गया है।

55. अजीत कुमार लाल, जिनके साथ समानता का दावा किया गया है, के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने जनवरी 2016 से 31.01.2018 तक गिरिडीह डाकघर में सहायक पोस्ट मास्टर (एपीएम) के रूप में काम करते हुए, गिरिडीह एचपीओ के सीबीएस के फिनाकल सिस्टम में पर्यवेक्षक (सत्यापनकर्ता) की भूमिका के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया / अपने यूजर आईडीः लालाजीत कुमार का दुरुपयोग करने की अनुमति दी, जिससे पोस्ट मास्टर, गिरिडीह एचपीओ के खाता संख्या 815301000125 से 3,74,924/- रुपये का धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन किया गया, जो बिना किसी सहायक वाउचर के विभिन्न तिथियों पर 06 मामलों में निजी व्यक्ति के 02 खातों में किया गया।

56. परन्तु वर्तमान आवेदक के खिलाफ आरोप पूरी तरह से अलग है और आरोप पत्र के अनुसार यह स्पष्ट है कि वर्तमान आवेदक ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत सह-अभियुक्त व्यक्ति अरविंद कुमार पांडे, जीडीएस को डाक विभाग के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के फिनेकल सॉफ्टवेयर सिस्टम में काम करने की अनुमति दी, क्योंकि अन्य सह-अभियुक्त अरविंद कुमार पांडे ग्रामीण डाक सेवक होने के नाते फिनेकल सिस्टम

में काम करने के हकदार नहीं थे , केवल डाक सहायक और उससे ऊपर के पद पर पदस्थ व्यक्ति ही यह काम कर सकते हैं।

57. इसके अतिरिक्त, वर्तमान आवेदक ने बेईमानी से 05.04.2016 को रांची के डाकघरों के सर्किल ऑफिस को गलत जानकारी प्रस्तुत की, ताकि आरोपी अरविंद कुमार पांडे के लिए फिनेकल यूजर आईडी की व्यवस्था की जा सके। आवेदक ने जानबूझकर अपने वास्तविक पदनाम ग्रामीण डाक सेवक की बजाय अरविंद कुमार पांडे के पदनाम को डाक सहायक के रूप में उल्लिखित किया, जिससे आरोपी अरविंद कुमार पांडे के यूजर आईडी के माध्यम से गिरिडीह प्रधान डाकघर में सीबीएस के फिनेकल सिस्टम में प्रवेश करके अरविंद कुमार पांडे द्वारा धोखाधड़ी के अपराध को सुविधाजनक बनाया जा सके और जांच के अनुसार अरविंद कुमार पांडे कथित धोखाधड़ी का मास्टर माइंड है।

58. अतः, उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वर्तमान आवेदक का मामला, आरोप के अनुसार उक्त अजीत कुमार लाल @ अजीत कुमार लाल के मामले से भिन्न है।

59. समतुल्यता के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह न्यायालय तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार यह न्यायलय इस मत का है कि समतुल्यता का लाभ तभी दिया जाना चाहिए

जब आवेदक के तथ्य/संलिप्तता उन व्यक्तियों के समान हो जिनके साथ समतुल्यता का दावा किया जा रहा है।

60. यह न्यायालय, आवेदक तथा अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता की चर्चा के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान आवेदक का मामला अजीत कुमार लाल के मामले से सर्वथा भिन्न है।

61.अन्यथा भी, तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय , (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय का सहारा लेते हुए यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ इस प्रकार प्रदान किया गया है जो जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के विपरीत प्रतीत होता है तो इस सिद्धांत को लागू करते हुए कि अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, यह न्यायालय अजीत कुमार लाल @ अजीत कुमार लाल के खिलाफ आरोप पर विचार करते हुए इस मत का है कि केवल इसलिए कि अजीत कुमार लाल @ अजीत कुमार लाल को अग्रिम जमानत प्रदान की गई है, वर्तमान आवेदक को भी न्यायिक हिरासत से नहीं रिहा किया जा सकता, वर्त्तमान आवेदक का मामला उक्त लाभ प्रदान किए जाने योग्य नहीं है।

62.इसके अतिरिक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर निर्भरता

व्यक्त की है और आरोपी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने का सवाल उठाया है, लेकिन यह इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि आवेदन को स्वीकार करना या अस्वीकार करना अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए और न्यायालय द्वारा इस तरह के प्रयोग को नियंत्रित करने वाला कोई कठोर नियम और कोई कठोर सिद्धांत नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम संतोष कर्नानी और अन्य (उपरोक्त)के मामले में दिए गए निर्णय से संदर्भ लिया जा सकता है ।

63. इस प्रकार, सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का संदर्भ देते हुए यह न्यायालय इस मत का है कि प्रथम दृष्टया, वर्तमान आवेदक के खिलाफ आरोपों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि डाक विभाग के विभिन्न अधिकारियों का एक सुव्यवस्थित सिंडिकेट है जो एक दूसरे से मिले हुए हैं और इस प्रकार, इस प्रकार की सांठगांठ का खोजकर पता लगाया जाना आवश्यक है।

64. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए , **निरंजन हेम चंद्र सशित्तल बनाम महाराष्ट्र राज्य , (2013) 4 एससीसी 642** के निर्णय का संदर्भ देना और उस पर निर्भरता व्यक्त करना उपयोगी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भ्रष्टाचार को डिग्री से नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार अव्यवस्था को जन्म देता है, प्रगति के लिए

सामाजिक इच्छा को नष्ट करता है, अवांछित महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, विवेक को मारता है, संस्थाओं की गरिमा को नष्ट करता है, देश के आर्थिक स्वास्थ्य को पंगु बनाता है, सभ्यता की भावना को नष्ट करता है और शासन की हड्डियों को खराब करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि धन का अनैतिक अधिग्रहण ईमानदारी में विश्वास करने वाले लोगों की ऊर्जा को नष्ट कर देता है और इतिहास पीड़ा के साथ यह दर्ज करता है कि उन्होंने कैसे कष्ट सहे हैं; और एकमात्र राहत देने वाला तथ्य यह है कि सामूहिक संवेदनशीलता ऐसे कष्टों का सम्मान करती है क्योंकि यह संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप है। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के प्रति असहिष्णुता पर जोर दिया गया था, वह किसी भी श्रेणी का हो।

65. इसके अतिरिक्त **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम सीबीआई (2014) 8 एससीसी** 682 में, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्र का दुश्मन है और भ्रष्ट लोक सेवकों का पता लगाना और ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना 1988 अधिनियम का एक आवश्यक आदेश है।

66. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम संतोष करणी एवं अन्य (उपरोक्त) मामले में यह टिप्पणी की है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए एक गंभीर खतरा

है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"31. उच्च न्यायालय को कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए था। भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए एक गंभीर खतरा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इससे न केवल सरकारी खजाने को भारी नुकसान होता है, बल्कि सुशासन भी प्रभावित होता है। आम आदमी सामाजिक कल्याण की योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाता है और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यह सही कहा गया है, "भ्रष्टाचार एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाएँ अनगिनत लंबाई की होती हैं; वे हर जगह फैलती हैं; और वहाँ से गिरने वाली ओस ने अधिकारियों की कुछ कुर्सियों और स्टूलों को संक्रमित कर दिया है।" इसलिए, अतिरिक्त सचेत रहने की आवश्यकता है।"

निष्कर्ष

67. उपर्युक्त कारणों से, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि यथोक्त विश्लेषण किया गया है, आवेदक अग्रिम जमानत देने की शक्ति के प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकरण स्थापित करने में विफल रहा है और अग्रिम जमानत के निर्णय के लिए

आवश्यक तथ्यों और मापदंडों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय को अग्रिम जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई असाधारण आधार नहीं मिला । अतः यह न्यायालय इस मत का है कि अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

68. परिणामस्वरूप, वर्तमान आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

69. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त टिप्पणी / मताभिव्यक्ति केवल जमानत पर विचार करने के उद्देश्य से की गई हैं। इनसे विचारण के दौरान मामले के गुणागुण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे.)

बीरेंद्र/ ए.एफ.आर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|